

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय


// आदेश //

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2009

क्रमांक: एफ 1-35/07/1-38 :: राज्य शासन, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 1-9/99-यू-11 दिनांक 22.09.2006 के आधार पर विश्वविद्यालयीन अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ 3-1/94 (पीएस) -7, दिनांक 19.10.2006 में वर्णित केरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत क्रीडाधिकारियों एवं ग्रंथपालों को दिनांक 27.07.1998 से स्वीकृत करता है ।

3/ यह आदेश वित्त विभाग के आर.980/09 /नियम-4, दिनांक 29.06.2009 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
24-8  
(वीणा तैलंग )  
उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

.....2/.

पृ०क०एफ०-35/07/1-88 भोपाल दिनांक 25/10/88

प्रतिबिधि-

1. तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ एवं महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को अग्रेषित ।
  2. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) शास्त्री भवन, सी.विंग, नई दिल्ली को सूचनार्थ अग्रेषित ।
  3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
  4. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
  5. समस्त अतिरिक्त संचालक/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
  6. समस्त प्राचार्य, शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
  7. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
  8. संचालक, स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
  9. संयुक्त संचालक, (कोष एवं लेखा) उच्च शिक्षा भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग